

तारीख हुक्म

दिना

09.02.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेशकर अवगत कराया कि उक्त वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने तथा प्रकरण को इसी स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से विद्धा कर खारिज करवाना चाहते हैं। वकील वादीगण के निवेदन पर वादपत्र को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाता है। पत्रावली पर वादपत्र को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाकर वाद पत्र को लोक अदालत की भावना से विद्धा कर खारिज किये जाने हेतु दिनांक 12.03.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

12.03.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादीगण ने पूर्व में दिनांक 09.02.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत उक्त वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने तथा प्रकरण को इसी स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से विद्धा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया था। वकील वादीगण के निवेदन पर वाद पत्र को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाकर वाद पत्र को लोक अदालत की भावना से विद्धा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Payal Kantam
12.03.2022
अध्यक्ष

लोक अदालत बेंच
ताल्लुका विधिक मया समिति
श्रीमाधोपुर (साकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/3/2022
सदस्य/ 2
ताल्लुका विधिक मया समिति
श्रीमाधोपुर (साकर)